न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर–ग्रामीण

पीठासीन अधिकारीः– मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 63 / 2022

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

वादीगण

1. कर्णसिंह पुत्र जसवन्तसिंह
2. दुर्गासिंह पुत्र जसवन्तसिंह

जातियान राव निवासीगण
बांजड़ा तहसील बिलाड़ा
जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. चन्द्रसिंह पुत्र गुमानसिंह
2. जबरसिंह पुत्र गुमानसिंह
3. प्रभुसिंह पुत्र गुमानसिंह
4. जालमसिंह पुत्र गुमानसिंह
   जातियान राव निवासीगण
   बांजड़ा तहसील बिलाड़ा
5. मंजू कंवर पुत्री गुमानसिंह
   पत्नी हड़मानसिंह जाति
   राव निवासी ग्राम छापरवाड़ा
   पोस्ट सुनाड़िया तहसील दूदू
   जिला जयपुर
6. सम्पत कंवर पुत्री गुमानसिंह
   पत्नी अमरसिंह जाति राव
   निवासी रूघनाथ कॉलोनी
   मालपुरा रोड़ दूदू तहसील
   दूदू जिला जयपुर
7. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
   शाखा बिलाड़ा जिला जोधपुर
8. राजस्थान सरकार जरिये
   तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

उपस्थितिः– वादीगण की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या–1,2 व 4 की ओर से नरपत सिंह सोलंकी
प्रतिवादी संख्या–8 सरकारी पैरोकार

निर्णय **दिनांक**

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बांजड़ा तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 23 रकबा 2.6697 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय संयुक्त खातेदारी की आयी हुयी है। जिसकी खातेदारी 1/4 वॉ हिस्सा वादी संख्या–1 का तथा 1/4 वॉ हिस्सा वादी संख्या–2 का तथा 1/12 वॉ हिस्सा

प्रतिवादी संख्या 1 का तथा 1/12 वॉ हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का तथा 1/12 वॉ हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 का तथा 1/12 वॉ हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 का तथा 1/12 वॉ हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 का तथा 1/12 वॉ हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 का है। इस प्रकार यह भूमि पक्षकारों की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है। विवादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से प्रतिवादी संख्या 1 से 6 द्वारा वादीगण के हक व हिस्से की भूमि में काश्त करने में दखल करने से पक्षकारों में विवाद रहता है इस कारण वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को तहसील में चलकर आपसी सहमति से बंटवाड़ा करने के लिए कहा, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 से 6 इसके लिए तैयार नही हुए तो वादीगण अपने 1/4–1/4 हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा कर अलग से वादीगण की खातेदारी में दर्ज कराने के लिए यह दावा पेश करना पड़ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 वादीगण को उनके हिस्से की भूमि पर काश्त करने में अड़चने पैदा कर रहे है, इस कारण वादीगण को अपने हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा कर अलग से खातेदारी में दर्ज की गयी भूमि में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखल पैदा नही करने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को पाबन्द करने के लिए स्थाई निषेधाज्ञा के लिए दावा पेश करना पड़ रहा है।

अन्त में दावा पेश कर वादी ने निवेदन किया कि ग्राम बांजड़ा तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 23 रकबा 2.6697 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय का बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स बंटवाड़ा किया जाकर वादीगण के 1/4–1/4 वॉ हिस्से की भूमि को अलग अलग कर खातेदारी में दर्ज करने का आदेश फरमावे। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वो वादीगण के बंट एवं हिस्से की भूमि में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल करे तथा न अन्य किसी से करावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, वादी का दावा दिनांक 23.01.2023 को प्राथमिक डिक्री किया गया और ग्राम बांजड़ा द्वितीय तहसील बिलाड़ा खसरा नम्बर 23 रकबा 2.6697 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय का बाई मीटस एण्ड बाऊण्डस बंटवाड़ा किया जाकर वादी संख्या–1 का 1/4 वॉ हिस्सा तथा वादी संख्या–2 का 1/4 वॉ हिस्सा का बाई मीटस एण्ड बाऊण्डस बंटवाड़ा किया जाकर वादीगण के 1/4–1/4 वॉ हिस्से की भूमि अलग कर बाई मीटस एण्ड बाऊण्डस बंटवाड़ा प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया गया। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाड़ा ने बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार हैं ग्राम बांजड़ा द्वितीय तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 23 रकबा 0.6673 हैक्टेयर वादी संख्या 1 कर्णसिंह पुत्र जसवन्तसिंह जाति राव सा. बांजड़ा खातेदार के बंट में रखी गयी, खसरा संख्या 23 रकबा

0.6673 हैक्टेयर वादी संख्या 2 दुर्गासिंह पुत्र जसवन्तसिंह जाति राव सा. बांजड़ा खातेदार के बंट में रखी गयी तथा खसरा नम्बर 23 रकबा 0.2225 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 चन्द्रसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति राव सा. बांजड़ा खातेदार के बंट में रखी गयी, खसरा नम्बर 23 रकबा 0.2225 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 2 जबरसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति राव सा. बांजड़ा खातेदार के बंट में रखी गयी, खसरा नम्बर 23 रकबा 0.2225 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 3 प्रभुसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति राव सा. बांजड़ा खातेदार के बंट में रखी गयी, खसरा नम्बर 23 रकबा 0.2225 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 4 जालमसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति राव सा. बांजड़ा खातेदार के बंट में रखी गयी, खसरा नम्बर 23 रकबा 0.2225 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 5 मंजू कंवर पुत्री गुमानसिंह जाति राव सा. दूदू जयपुर खातेदार के बंट में रखी गयी, खसरा नम्बर 23 रकबा 0.2225 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 6 सम्पत कंवर पुत्री गुमानसिंह जाति राव सा. बांजड़ा खातेदार के बंट में रखी गयी। जिस पर अप्रार्थी सं. 1,2 व 4 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया गया। जिसे अप्रार्थी सं. 1,2 व 4 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 21.05.2024 को उक्त प्रार्थना–पत्र नॉट प्रेस कर दिया गया। जिससे बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के अनुसार वादीगण के वाद को स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाता हैं तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश किया जाता हैं कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड व जमाबंदी में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता हैं कि वो वादीगण के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा,
व इजलास मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

वादीगण — **बनाम** — **प्रतिवादीगण**

वादीगण

1. कर्णसिंह पुत्र जसवन्तसिंह
2. दुर्गासिंह पुत्र जसवन्तसिंह
   जातियान राव निवासीगण
   बांजड़ा तहसील बिलाड़ा
   जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. चन्द्रसिंह पुत्र गुमानसिंह
2. जबरसिंह पुत्र गुमानसिंह
3. प्रभुसिंह पुत्र गुमानसिंह
4. जालमसिंह पुत्र गुमानसिंह
   जातियान राव निवासीगण
   बांजड़ा तहसील बिलाड़ा
5. मंजू कंवर पुत्री गुमानसिंह
   पत्नी हड़मानसिंह जाति
   राव निवासी ग्राम छापरवाड़ा पोस्ट
   सुनाड़िया तहसील दूदू जिला जयपुर
6. सम्पत कंवर पुत्री गुमानसिंह
   पत्नी अमरसिंह जाति राव
   निवासी रूघनाथ कॉलोनी मालपुरा रोड़
   दूदू तहसील दूदू जिला जयपुर
7. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बिलाड़ा
   जिला जोधपुर
8. राजस्थान सरकार जरिये
   तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 63 / 2022

निर्णय **दिनांक :–**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई तथा प्रतिवादी संख्या–1,2 व 4 की ओर से श्री नरपतसिंह सोलंकी अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या–3,5 व 6 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी संख्या–7 अनुपस्थित तथा प्रतिवादी संख्या–8 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद को अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम बांजड़ा द्वितीय तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 23 रकबा 0.6673 हैक्टेयर वादी संख्या 1 कर्णसिंह पुत्र जसवन्तसिंह जाति राव सा. बांजड़ा खातेदार के बंट में रखी गयी, खसरा नम्बर 23 रकबा 0.6673 हैक्टेयर वादी संख्या 2 दुर्गासिंह पुत्र जसवन्तसिंह जाति राव सा. बांजड़ा खातेदार के बंट में रखी गयी तथा खसरा नम्बर 23 रकबा 0.2225 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 चन्द्रसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति राव सा. बांजड़ा खातेदार के बंट में रखी गयी, खसरा नम्बर 23 रकबा 0.2225 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 2 जबरसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति राव सा. बांजड़ा खातेदार के बंट में रखी गयी, खसरा नम्बर 23 रकबा 0.2225 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 3 प्रभुसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति राव सा. बांजड़ा खातेदार के बंट में रखी गयी, खसरा नम्बर 23 रकबा 0.2225 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 4 जालमसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति राव सा. बांजड़ा खातेदार के बंट में रखी गयी, खसरा नम्बर 23 रकबा 0.2225 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 5 मंजू कंवर पुत्री गुमानसिंह जाति राव सा. दूदू जयपुर खातेदार के बंट में रखी गयी, खसरा नम्बर 23 रकबा 0.2225 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 6 सम्पत कंवर पुत्री गुमानसिंह जाति राव सा. बांजड़ा खातेदार के बंट में रखी गयी। जिस पर अप्रार्थी सं. 1,2 व 4 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया गया। जिसे अप्रार्थी सं. 1,2 व 4 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 21.05.2024 को उक्त प्रार्थना–पत्र नॉट प्रेस कर दिया गया। जिससे बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के अनुसार वादीगण के वाद को स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाता हैं तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश किया जाता हैं कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड व जमाबंदी में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता हैं कि वो वादीगण के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक–की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .... को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा